

Query Sno.	Essential Details Sought by Forest Department	Compliance
1	A.1.(ix)- Mention non-forest land if any.	No non-forest land is required
2	D.- Mention names of alternative location examined in revised justification. Please specify why this location is important for technical viability of project	Revised justification is uploaded
3	Additional Information - Submit authenticated land schedule with specific mention of Forest and JJ land.	Land detail is uploaded


21/5/2019
PRAVIN RAM
SENIOR MANAGER
TRANSMISSION DIVISION
JUSNL, HAZARIBAG



JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

CIN:U40108JH2013SGC001704

Regd. Office: SLDC Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH

Division Office :Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH

Mob:+919939150265

Email:eeetdhzb@gmail.com

Revised Justification

Sub: Reply against query no. D.

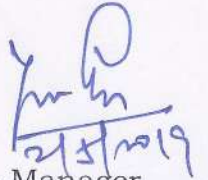
Ref: Forest proposal FP/JH/SubStation/39788/2019dated 10/04/2019

Construction of 132/33 KV new GSS in Edla, Simariya (Chatra) proposed under 24 X 7 days power availability with quality scheme of State Government and to improve Transmission Network in Chatra district and surrounding area. Selection of land for construction of 132/33 KV Gss is not site specific project. Land selection is based on:

- Economic Evaluation
- Technical Evaluation
- Community acceptance

Keeping in consideration of above requirement, after searching various land with local administration, any other land of similar size and nature (required of construction 132/33 KV GSS from Electrical point of view) are not available in Simariya.

Keeping in view the utility of work in public intrest and development of state in power sector decision has been taken for construction of 132/33 KV GSS in land offered by local administration vide no objection certificate no, 909 dated 21.08.17.


21/5/2019

Senior Manager,

Transmission Division, Hazaribag

BRAMAN RAM
SENIOR MANAGER
TRANSMISSION DIVISION
JUSNL, HAZARIBAG



JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

CIN:U40108JH2013SGC001704

Regd. Office: SLDC Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH

Division Office: Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH

Mob:+919939150265

Email:eeetdhzb@gmail.com

Sub: Reply against query additional information.

Ref: Forest proposal FP/JH/SubStation/39788/2019 dated 10/04/2019

Proposed land is offer by local administration after several joint exercises. The NoC of proposed land is given by no objection certificate no, 909 dated 21.08.17 in this letter nature of land, name of mouja, kahat no. and plot no. is mentioned and dully signed by Deputy Commissioner of Chatra. Land detail of proposed site is uploaded with this reply.

Senior Manager,

Transmission Division, Hazaribag

PRAVIN KUMAR
SENIOR MANAGER
TRANSMISSION DIVISION
JUSNL, HAZARIBAG

Land Schedule

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED(JUSNL)							
LAND SCHEDULE FOR 132/33 KV GSS SIMARIA							
VILLAGE-EDLA THANA NO.164							
S.No	Circle	Village	Thana No	Khata No	Plot No	Total Area in Acre	Type of Land
1	Simaria	Edla	164	264	2746	8.50	GM Jungle Jhari



[Signature]
25/5/19
वरिष्ठ प्रबंधक
PRABIN RAM
SENIOR MANAGER
TRANSMISSION DIVISION
JUSNL, HAZARIBAG

[Signature]
25/5/19
अंचल अधिकारी
अंचल सिमरिया, जिला चतरा
28/5/19

समाहर्ता का कार्यालय, चतरा

सं० 909

दिनांक 21.08.17

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-सिमरिया के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है:-

क्र०	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिमरिया	एदला	164	264	2746	8.50	गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
कुल रकबा						8.50	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम, हजारीबाग को ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के लिए भूमि अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा गैरमजरुआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैरमजरुआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त
चतरा।

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Chatra

No....1.89

Dated 10.02.18

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **3.44 hectare (8.50 acres)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd. Hazaribagh** for **Construction Of Grid Sub-station** in Chatra district falls within jurisdiction of **Edla** village in **Hunterganj** tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.44 hectare (8.50 acres)** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure I.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed division. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Edla** village enclosed as annexure I
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above.

10/02/18
Sandeep Singh

ग्राम सभा की बैठक की सूचना

ग्राम सभा के सभी सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक तारीख 22.4.17 को निम्नलिखित ग्राम के स्थान पर होगा।

ग्राम सभा के सभी सदस्य, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

बैठक बुलाने वाला प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

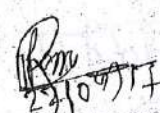
मुखिया
ग्राम पंचायत - एवला
प्रति-मुखिया (अलरा)

ग्राम सभा में कार्यवाही अभिलेख

- ग्राम पंचायत का नाम :- एदला
बैठक की तिथि :- 12.4.17
बैठक का स्थान :- पंचायत गवन एदला
बैठक का समय :- 11.00 AM
उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की संख्या :-

क्रमांक	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	बैठक की कार्यवाही
1		3
1	पावर शीड निर्माण	
2	शवात 6 - 264	
3	प्लॉट 6 - 2746	
4	अन्वय - 8.50 रु	
5		
6		
7		
8		
9		

स्थान-
तारीख-


ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर
एवं मुहर

मो.म.जी.म.

परीषद् कुमाँ

E:\Map Section\Village Meeting.doc

मालिकाना अधिकार
जम 3000 रु

पंकज श्री

 10-विनक 20

मो.म.जी.म.

मो.म.जी.म.

मो.म.जी.म.

सुका भुडिया

मोहन गंगू

०० मोहन गंगू

०० मोहन गंगू

राजेश गंगू

गोपबन्धु गंगू

मिन्हाज मिथां

मिन्हाज मिथां

मल्लिकार्जुन
सुखदेव गंगू
मुनीश्वर गंगू

०० मोहन गंगू

हेकालाल पादक

ग्राम समिति

रुदला

ग्राम पंचायत रुदला

प्रखण्ड सिमरिया

जिला चम्पा

वन अधिकार समिति का प्रतिवेदन

दिनांक 11/18

को वन अधिकार समिति रुदला की अध्यक्षता में दिन के 1.30

इस बैठक में श्री विधुत उप पाकर श्रीड निर्माण

की बैठक श्री नागेश्वर राव

ग्राम रुदला के वन भूमि पर दावे पर विचार किया गया। दिनांक के स्थल निरीक्षण और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि :-

श्री विधुत उप पाकर श्रीड निर्माण हेतु

1. खाता नं० 264 प्लॉट नं० 214.6 में का भूमि पर कब्जा है। नैरभजन आ स्वयं स्वयं की है। 8 एकड 0.50 डिसमिल
2. उपरोक्त जमीन वन भूमि है। वर्तमान में वन सिंग के वाह है। स्वयं स्वयं के अडवा के लिए जंगल
3. उपरोक्त वन भूमि पर उसका कब्जा 13.12.2005 के पहले का है। वर्ज है
4. उपरोक्त वन भूमि पर वह स्वयं खेती करता है और जीविकोपार्जन के लिए निर्भर है।
5. जो नक्शा अमीन द्वारा बनाया गया है, वह दावेदार के वास्तविक कब्जे को दर्शाता है।
6. स्थल निरीक्षण के समय वन और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे/नहीं थे।
7. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग प्रतिनिधि ने अपना मत व्यक्त दिया है/नहीं दिया है।

अतः वन अधिकार समिति ने श्री विधुत उप पाकर श्रीड निर्माण हेतु के दावे को सही और कानून सम्मत पाया और वन अधिकार नियम 2008 की धारा 11 उपधारा 2(5) के अंतर्गत ग्राम सभा के पास इस दावे को अग्रतर कार्रवाई के लिए अनंशंसा करती है।

स्थल स्वस्थों का हस्ताक्षर

12/12/2011

वन सहायक समिति

निम्नोक्त सदस्यों

9. शकुन्ता देवी

10. सिकेंद्र विरवकर्मा

11. निम्नोक्त सदस्यों

12. निम्नोक्त सदस्यों

13. निम्नोक्त सदस्यों

14. निम्नोक्त सदस्यों

15. निम्नोक्त सदस्यों

समिति स्वस्तु

दे समिति का कोई भी सदस्य दावेदार है तो वह अपने खुद के दावे के बारे में वन अधिकार समिति की कार्यवाही में भाग और उस प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नहीं करेगा। (वन अधिकार नियम 2008 धारा 3 उपधारा 3 देखें)

12/12/2011

12/12/2011

सचिव

वन सहायक समिति

ग्राम रुदला

समाहरणालय, चतरा
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक-25.01.2018 को अपराह्न 2:00 बजे जिला वन अधिकार समिति, चतरा की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें चतरा जिला अन्तर्गत संलग्न भू-विवरणी अनुसार संबंधित ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा दिए गये वन भूमि के उपयोग हेतु अनुमंडल वन अधिकार समिति के द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा के आधार पर जिला वन अधिकार समिति, चतरा द्वारा वन एवं जंगल-झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए बैठक आहुत की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

उपस्थिति

1. अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
-सह-
उपायुक्त, चतरा।


25/1/18

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी
उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।


25-1-18

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी
दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।


25-01-18

4. अपर समाहर्ता, चतरा।

Mr. Mr. 25.1.18

5. जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा।

-  25/1/18

6. श्री रामे टाना भगत
(सदस्य)
सिदपा, टण्डवा।

रामे टाना भगत

7. श्रीमति शोभा कुजूर
(सदस्य)
कल्याणपुर, टण्डवा।

8. श्री सरयु उरॉव
(सदस्य)
सिंदरीवार, सिमरिया।

क्र०	योजना का नाम	अंचल	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	वन भूमि	गैर० खास जंगल/जंगल झाड़ी रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पावर ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण	हंटरगंज	बलुरी	65	83	759	0.00	10.00
2.	सी० सी० एल० अंतर्गत पूर्वाडीह परियोजना	टण्डवा	हेंजदा		45	406	0.00	3.00
						24	0.00	0.82
						485	0.00	3.03
						489	0.00	13.50
						494	0.00	7.12
						496	0.00	5.50
			कुटकी		44	54	0.00	0.70
						61	0.00	1.05
						63	0.00	0.65
						65	0.00	0.95
						264 P	0.00	7.10
						439 P	0.00	7.81
						440 P	0.00	4.49
						441 P	0.00	4.74
						442 P	0.00	3.40
						566	0.00	1.18
						54	0.00	5.07
						51	0.00	0.19
						440	0.00	2.61
			डेम्बुआ	90	19	01	0.00	4.64
						10	0.00	3.68
						13	0.00	9.00
						209	0.00	7.84
						कुल	0.00	98.07
3.	सामुदायिक विकास केन्द्र	हंटरगंज	कुसुम्भा	335	34	94		5.00
4.	मगध-आम्रपाली परियोजनान्तर्गत NBCC Road निर्माण	टण्डवा	राहम	62	176	2117	0.583	0.167
						2104	0.10	1.816
						2085	0.00	3.56
						282	0.00	1.416
					346	281	0.00	4.00
						कुल	0.683	10.959
5	पवार ग्रीड निर्माण	सिमरिया	एदला	164	264	2746	0.00	8.50
6	सामुदायिक भवन निर्माण	हंटरगंज	हटवरिया	111	14	144	3.20	0.00

2. सर्व सम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त संलग्न विवरणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में जिला वन अधिकार समिति, चतरा को कोई आपत्ति नहीं है।
6. इस अनापत्ति को भूमि के अपयोजन की स्वीकृति नहीं समझा जाय। भूमि के वास्तविक अपयोजन से पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

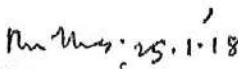
रामे टाना भगत

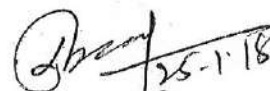
श्री रामे टाना भगत
(सदस्य)
सिदपा, टण्डवा।

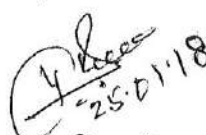
श्रीमति शोभा कुजूर
(सदस्य)
कल्याणपुर, टण्डवा।

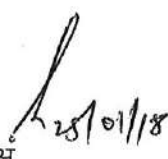
श्री सरयु उराँव
(सदस्य)
सिंदरीवार, सिमरिया।


जिला कल्याण पदाधिकारी
चतरा।


अपर समाहर्ता
चतरा।


वन प्रमंडल पदाधिकारी
उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।


वन प्रमंडल पदाधिकारी
दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।


अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
—सह—
उपायुक्त, चतरा।